प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पुत्र श्री रामफेर निवासी जनपद-फैजाबाद मूल जनपद-सुलतानुपर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पुत्र श्री रामफेर, जो वृन्दावन मजरे लक्ष्मनपुर ग्रन्ट, थाना-कोतवाली बीकापुर, जनपद-फैजाबाद मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा मजरे रामनगर, थाना-कुडेभार, जनपद-सुलतानपुर का निवासी है। बन्दी ने जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक 16.09.2001 को दिन में समय लगभग 09:30 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 व्यक्तियों की बांका, गड़ासा से काटकर नृशंस हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश(न्या0 सं0-9), फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2021 तक 19 वर्ष 11 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 02 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा 06 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है जो एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में होने, बन्दी के अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने के कारण रिहाई का घोर विरोध किये जाने, बन्दी के जेल से छूटने पर अपराध कारित करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला प्रोबेशन अधिकारी, सुलतानपुर ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने व भविष्य में पुन: अपराध किये जाने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है बन्दी जेल से छूटने के बाद पुन: अपराध कर सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16.09.2001 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 व्यक्तियों की बांका, गड़ासा से काटकर नृशंस हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पुत्र श्री रामफेर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार (बन्दी सं0-2714/2008) पुत्र श्री रामफेर निवासी जनपद-फैजाबाद मूल जनपद-सुलतानुपर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-142/2022/479(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-142/2022/479/22-2-2022-17(495)/2022

दिनांक 13 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पुत्र श्री रामफेर, जो वृन्दावन मजरे लक्ष्मनपुर ग्रन्ट, थाना-कोतवाली बीकापुर, जनपद-फैजाबाद मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा मजरे रामनगर, थाना-कुडेभार, जनपद-सुलतानपुर का निवासी है। बन्दी ने जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक 16.09.2001 को दिन में समय लगभग 09:30 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 व्यक्तियों की बांका, गड़ासा से काटकर नृशंस हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश(न्या0 सं0-9), फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2021 तक 19 वर्ष 11 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 02 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा 06 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है जो एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में होने, बन्दी के अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने के कारण रिहाई का घोर विरोध किये जाने, बन्दी के जेल से छूटने पर अपराध कारित करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला प्रोबेशन अधिकारी, सुलतानपुर ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने व भविष्य में पुन: अपराध किये जाने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है बन्दी जेल से छूटने के बाद पुन: अपराध कर सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी विवाद की रंजिश में दिनांक 16.09.2001 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 व्यक्तियों की बांका, गड़ासा से काटकर नृशंस हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अवधेश कुमार पुत्र श्री रामफेर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in